

09/12/24

पुजावली पैदा हुई । पुजाला  
का आन्तिम निर्णय प्रथम से  
लिखावाया गया ।  
उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
अन्तर्गत धारा 177 RTA  
के तहत विपक्षीयता के विरुद्ध  
प्रमाणित नहीं होने के कारण  
खातीज किया जाता है ।  
पुजावली केवल कुमार होकर  
नम्बर से उम हो ।



(बीनु देबनाल)

सहायक कलक्टर एवं  
उपमन्त्र अतिरिक्त  
विभागाध्यक्ष (राज.)